# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

शिव नारायण यादव

वनाम

सुर्य नारायण यादव वगै0

वाद सं0–42 / 13–14

वाद का प्रकार वेदखली

## आदेश

**04.03.2014** यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगाया गया है।

**प्रश्नगत भूमि का विवरण**

मौजा दिनमों थाना कु0 स्थान जिला दरभंगा।

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 165 पु0 | 802 पु0 | 1 डी0 | उ0–डबरा |
| 434 नया | 803 पु0 | 5 डी0 | द0–राधाकान्त यादव |
| | 944 नया | 4 डी0 | पु0–सुर्य ना0 यादव |
| | 940 नया | 1 डी0 | प0–राम अशीष पौद्दार |
| | 945 नया | 1 डी0 | |
| | | कुल 6 डी0 | |

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि आवेदक का एक भूखण्ड जिसमा मौजा दिनमों थाना नं0 255 कु0 स्थान जिला दरभंगा के खाता 434 नया खेसरा नं0 944, 940, 945 नया खाता 165 पु0 खेसरा 802, 803 पु0 कुल रकवा 6 डी0 वादी का सम्पत्ति है।

वादी को यह भूखण्ड बजरिये मरौसी खतियानी द्वारा प्राप्त है। उक्त भूखण्ड का जमाबंदी भी वादी के नाम कायम है और हाल सर्वे खतियान भी वादी के नाम कायम है। इस बीच प्रतिवादी लाठी भाला से लैस होकर वादी के भूखण्ड पर जबरन कब्जा जमा लिया है। वादी इस समस्या का निदान स्थानीय स्तर पर किया लेकिन प्रतिवादी की हठधर्मिता के कारण इस समस्या का समाधान नही हो सका।

वहीं दुसरी ओर विपक्षीगण का संक्षेप में कहना है कि वर्तमान कार्यवाही मौजा दिनमो थाना नं0 255 कु0 स्थान जिला दरभंगा के खाता नं0 434 नया खेसरा नं0 994, 940, 945 खाता 165 पु0 खेसरा 802, 803 पु0 कुल रकवा 5 डी0 हुजूर को ज्ञात हो कि खेसरा नया 994, 940, 945 का पु0 खतियान अनावाद बिहार सरकार किस्म गढ़ा करके है। खेसरा पु0 798 का पु0 गैरमजरूआ आम किस्म गढ़ा डगर करके पु0 खतियान है। जिसका नया खतियान 12 डी0 हैं। जिस खेसरा मे 940 का रकवा 1 डी0 है एवं 945 का रकवा 1 डी0 है। जो सर्वेयर की गलती के कारण वादी के नाम से बन गया है। जबकि प्रतिवादी गरीब भूमिहीन निःसहाय व्यक्ति है। और वादी दबंग एवं सर्वे के समय में मुखिया था जो प्रतिवादी की मरौसी सम्पत्ति को अपने नाम से सर्वेयर को उल्टी सीधी समझा कर अपने नाम बिना सबुत के हाल सर्वे बना लिया है। उक्त खाता खेसरा एवं रकवा पर प्रतिवादीगणो का अवासीय मकान पुस्तैन दर पुस्तैन से चला आ रहा है। विपक्षी का कहना है कि मैं अपने खतियानी के अलावा दक्षिण साईड से सटे विवादी जमीन का खेसरा के दक्षिण भाग में जिस खेसरा से निबंधित केवाला 2 धुर जमीन केवाला भी लिए है जो रामरति देवी पति उमद पंडित द्वारा प्राप्त है जो अभी मेरे दखल कब्जा में चला आ रहा है। विदित हो कि खाता नं0 165 पु0 खेसरा 802 पु0 जिसका रकवा 1 डी0 एवं खेसरा नं0 803 पु0 का कुल रकवा 5 डी0 ही मात्र है। जो पुराना खतियान पाड़े साहु वो टिमन साहु को मरौसी खतियानी सम्पत्ति है। यह पाड़े साहु एवं प्रतिवादीगण दोनो एक वंशावली दो का अंश है एवं प्रतिवादी की मरौसी खतियानी सम्पत्ति है। जिस पर प्रतिवादीगण अपना आवासीय घर बनाकर रह रहे है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों का अवलोकन किया. वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर हाल खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है एवं साक्ष्य के रूप में हाल खतियान की छायाप्रति संलग्न की गई है. प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर मरौसी सम्पति होने के आधार पर दावा किया जा रहा है एवं साक्ष्य के रूप में पुराना खतियान की छायाप्रति संलग्न की गई है. पुराना खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुराना खेसरा 802 एवं 803 प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम से दर्ज है. वादी द्वारा केवल हाल खतियान की प्रति संलग्न की गई है जबकि प्रश्नगत भूमि के प्राप्ति के श्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इस प्रकार सक्षम साक्ष्य के आभाव में वाद को ख़ारिज किया जाता है.

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

04.03.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

लेखापति एवं संशोधित

04.03.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल